# राजस्थान सरकार
# कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 2(1)कार्मिक/क–2/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक :– 28.04.2015

1– समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्र0 शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
2– समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

## परिपत्र

जैसा कि आपको विदित है कि अनुसूचित क्षेत्रों हेतु पृथक् से राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 दिनांक 28.01.2014 से अधिसूचित किए जा चुके हैं। इनके तहत अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत तथा अनुसूचित क्षेत्र में ही रहने का विकल्प देने वाले राजसेवक इन सेवाओं के स्वतः सदस्य होंगे। साथ ही, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.07.2014 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के बाहर जाने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण तभी किया जायेगा, जब उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी का पदस्थापन होकर कार्यग्रहण कर लिया हो।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अब तक जिन कर्मचारियों ने शेष राजस्थान से अनुसूचित क्षेत्र में जाने का विकल्प दिया है, उनका अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों पर स्थानान्तरण 31 मई, 2015 तक हर हाल में कर दिया जावे। अभी भी विकल्प से शेष रहे कर्मचारियों से अनुसूचित क्षेत्र में जाने सम्बन्धी विकल्प 31 मई, 2015 तक सभी विभागों द्वारा आवश्यक रूप से ले लिये जावे। इसके बाद कोई विकल्प मान्य नहीं होंगे। विकल्प लेने की इस अन्तिम तिथि का समाचार माध्यमों से भी विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जावे। इस प्रकार प्राप्त होने वाले विकल्पों के आधार पर, अनुसूचित क्षेत्र का विकल्प देने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण 30 जून, 2015 तक (TSP क्षेत्र में जाने हेतु) हर हाल में कर दिये जावें।

जहां तक अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों, जिन्होंने अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है, उनके स्थानान्तरण का प्रश्न है, ऐसे स्थानान्तरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अनुसूचित क्षेत्र के तत्सम्बन्धी रिक्त पद, स्थानान्तरण/नयी नियुक्ति द्वारा भरे जा चुके हैं तथा स्थानान्तरण से अनुसूचित क्षेत्र का विभागीय कार्य संचालन बाधित होने की सम्भावना नहीं है।

विकल्प लेने की अन्तिम तिथि (31.05.2015) के पश्चात् प्रत्येक विभाग 10 दिवस के भीतर आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को एक प्रमाण–पत्र इस आशय का भेजेगा कि राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के नियमों के तहत विभाग के सभी चतुर्थ श्रेणी, मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा के राजसेवकों को सूचित कर विकल्प प्राप्त कर लिए गए हैं तथा ऐसा कोई राजसेवक शेष नहीं रहा है, जिसे इस प्रकार सूचित नहीं किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में 30 जून, 2015 तक स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त सभी विभाग आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को एक प्रमाण–पत्र भेजेंगे



20/2015

कि अनुसूचित क्षेत्र में जाने का विकल्प देने वाले सभी राजसेवकों का स्थानान्तरण अनुसूचित क्षेत्र में कर दिया गया है।

ऐसे कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 दिनांक 16.01.2015 के तहत राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति/प्रतिबन्ध से मुक्त है।

इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए पालना से अवगत करावे।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिवगण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

20/2/2015